प्रेस विज्ञप्ति
10.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बैंगलोर आंचलिक कार्यालय ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), धारवाड़ में हुए दोहरे मुआवज़े घोटाले के सिलसिले में, वीडी सज्जन और अन्य के मामले में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रवि यल्लप्पा कुर्बेट को 08/07/25 को गिरफ्तार किया है। यह घोटाला वीडी सज्जन (सेवानिवृत्त विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, धारवाड़) द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत करके किया गया था। गिरफ्तार व्यक्ति रवि यल्लप्पा कुर्बेट को 09/08/2025 को मंगलुरु, डी.के. स्थित माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीएमएलए) की अदालत में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने ईडी को 07 दिनों की रिमांड प्रदान की।

इस मामले की जाँच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों से पता चला है कि केआईएडीबी धारवाड़ में व्यापक धन शोधन योजना में रवि यल्लप्पा कुर्बेट की सक्रिय संलिप्तता थी।

ईडी की जाँच में आरोपियों द्वारा केआईएडीबी से ऐसे लोगों के नाम पर धोखाधड़ी से दोहरा मुआवज़ा क्लेम करने और निकालने के लिए अपनाई गई चतुर कार्यप्रणाली का पता चला, जिन्हें पहले ही मुआवज़ा मिल चुका था या जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस पूरी प्रक्रिया में रवि यल्लप्पा कुर्बेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

रवि यल्लप्पा कुर्बेट इस घोटाले में उत्पन्न पीओसी का एक प्रमुख लाभार्थी रहा है। उसने पीओसी का उपयोग अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर अचल संपत्तियाँ खरीदने और निजी उपभोग के लिए किया है।

यह बताना उचित होगा कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में पहले ही लगभग 13 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुका है।

इससे पहले, इस मामले में आरोपी 22 व्यक्तियों के विरुद्ध मंगलुरु स्थित तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीएमएलए, 2002, डी.के. की अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की गई थी। माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है और मामला विचाराधीन है।

आगे की जाँच जारी है।